

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--: संशोधन आदेश ::--


इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवानिवृति/2019-20 दिनांक 01.03.2019 द्वारा क्र.सं. 39 पर कार्मिक वीणा बडगुर्जर व्याख्याता समाजशास्त्र का सेवानिवृति आदेश जारी किया गया था।


उक्त आदेश में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है। 2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है। 3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है। कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन (निलम्बित) होने के कारण उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 से 03 विलोपित की जाती है।

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/18

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
दिनांक:- 30/12/19


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर